न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —168/2019(2019/00267)

अनवान : —

कुलदीप पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. राकेश पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. शकुन्तला पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री विनोद पूनियां **वादी**
श्री उम्मेद मोठसरा **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 18/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 डीपीएन के वर्तमान खाता संख्या 106/109 के मुरब्बा न0 7 के किला न0 1, 2/1, 9/1, 10, 11, 12/1, 19/1, 20, 21, 22/1 कुल किता 10 की कुल 1.290 हैक्टेयर नहरी व चक 1 एनटीआर के खाता संख्या 98/12 के मु0 न0 20 के किला न0 17, 18, 23, 24, मु0 न0 28 के किला न0 5/2, मु0 न0 29 के किला न0 1 ता 4 इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 2.049 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा बेगराज की खातेदारी हुआ करती थी। बेगराज से विरासतन [illegible] प्रतिवादी सोहनलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन [illegible] सोहनलाल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी [illegible] प्रतिवादीगण की [illegible] पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक [illegible] अधिकार निहित है। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

तन्हा प्रतिवादी सोहनलाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल को वादी के दादा बेगराज से विरासतन प्राप्त हुई है। चालू जमाबन्दी चक 5 डीपीएन के सम्वत 2063–66 के खाता संख्या 42/39 एवं चक 1 एनटीआर के सम्वत 2070–73 खाता संख्या 12/14 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 शकुन्तला वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी कुलदीप पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 5 डीपीएन सम्वत 2071–74 खाता संख्या 106/109 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 1 एनटीआर के सम्वत 2074–77 खाता संख्या 98/12 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 5 डीपीएन सम्वत 2063–66 खाता संख्या 42/39 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 1 एनटीआर सम्वत 2070–73 खाता संख्या 12/14 प्रदर्श 4, जमाबन्दी चक 4 डीपीएन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 97/100 प्रदर्श 5, जमाबन्दी चक 7 डीपीएन सम्वत 2072–75 खाता संख्या 103/105 प्रदर्श 6, जमाबन्दी चक 7 डीपीएन सम्वत 2072–75 खाता संख्या 104/104 प्रदर्श 7, जमाबन्दी चक 1 एनटीआर सम्वत 2074–77 खाता संख्या 78/76 प्रदर्श 8, सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना का सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी [illegible] वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा [illegible] किये जाने हेतु निवेदन किया। चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 97/100 की [illegible] 012 है0, चक 7 डीपीएन के खाता संख्या 103/105 की कुल 1.265 है0 प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा चक 1 एनटीआर के खाता संख्या 78/76 में 0.253 है0 वादी कुलदीप के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 5 डीपीएन के वर्तमान खाता संख्या 106/109 के मुरब्बा न0 7 के किला न0 1, 2/1, 9/1, 10, 11, 12/1, 19/1, 20, 21, 22/1 कुल किता 10 की कुल 1.290 हैक्टेयर नहरी व चक 1 एनटीआर के खाता संख्या 98/12 के मु0 न0 20 के किला न0 17, 18, 23, 24, मु0 न0 28 के किला न0 5/2, मु0 न0 29 के किला न0 1 ता 4 इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 2.049 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 डीपीएन के वर्तमान खाता संख्या 106/109 के मुरब्बा न0 7 के किला न0 1, 2/1, 9/1, 10, 11, 12/1, 19/1, 20, 21, 22/1 कुल किता 10 की कुल 1.290 हैक्टेयर नहरी में प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 राकेश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक 1 एनटीआर के खाता संख्या 98/12 के मु0 न0 20 के किला न0 17, 18, 23, 24, मु0 न0 28 के किला न0 5/2, मु0 न0 29 के किला न0 1 ता 4 इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 2.049 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी कुलदीप को 1.543 है0 व प्रतिवादी संख्या 2 राकेश को 0.506 हैक्टेयर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जा[illegible]

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:21 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़